भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: †1365
06 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अस्पतालों/औषधालयों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/एसएचसी की स्थिति

†1365. श्री रामभुआल निषादः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान देशभर में ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना की स्थिति के संबंध में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, विशेषकर उत्तर प्रदेश का ब्यौरा क्या है;
(ख) उत्तर प्रदेश में विशेषकर सुल्तानपुर में प्रस्तावित/निर्माणाधीन और वर्तमान में कार्यरत अस्पतालों/औषधालयों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/एसएचसी और अन्य स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों की जिला-वार स्थिति क्या है;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर उपर्युक्त स्थानों के लिए चिकित्सा अवसंरचना और सुविधाओं की स्थापना के लिए जिला-वार कुल कितनी धनराशि स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई है; और
(घ) क्या सरकार के पास मौजूदा ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना को और अधिक विकसित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को मजबूत करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करती है।

हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया (एचडीआई) (अवसंरचना और मानव संसाधन), 2022-23 एक वार्षिक प्रकाशन है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए स्वास्थ्य परिचर्या प्रशासनिक डेटा पर आधारित है। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार स्थिति, एचडीआई 2022-23 के निम्नलिखित लिंक पर देखी जा सकती है:

https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

फरवरी 2018 में, भारत सरकार ने दिसंबर 2022 तक देश भर में 1,50,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) की स्थापना करने की घोषणा की, जिन्हें पहले आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) के नाम से जाना जाता था। एएएम पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अद्यतित किए गए डेटा के अनुसार, 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार, कुल 1,82,944 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित और संचालित किए जा चुके हैं ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मौजूदा उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को परिवर्तित करके व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए, सेवाओं के 12 पूर्ण पैकेज के साथ, जिसमें निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास संबंधी सेवाएं शामिल हैं, जो सार्वभौमिक, निःशुल्क और समुदाय के करीब हैं, की प्रदायगी की जा सकें।

पिछले पाँच वित्तीय वर्षों, यानी वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक, उत्तर प्रदेश राज्य में एनएचएम के तहत भवन अवसंरचना के विकास के लिए अनुमोदित निधियों का विवरण इस प्रकार है:

(लाख रू.में)

राज्य	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
उत्तर प्रदेश	169,180.68	171,102.14	42,730.00	124,665.62	147,304.31

नोट:

1. एपीआईपी अनुमोदित और व्यय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्टों के अनुसार हैं और ये अनंतिम हैं।
2. व्यय में केंद्रीय निर्मुक्तियां, राज्य निर्मुक्तियां और वर्ष के आरंभ में अव्ययित शेष राशि के सापेक्ष व्यय शामिल हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अलावा, भारत सरकार की जन स्वास्थ्य अवसंरचना के विकास के लिए चल रही योजनाएँ इस प्रकार हैं:

• **<u>प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)</u>** एक केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) है, जिसमें कुछ केंद्रीय क्षेत्र घटक (सीएस) शामिल हैं, जिसके लिए योजना अवधि (2021-22 से 2025-26) के लिए 64,180 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित है। पीएम-एबीएचआईएम के तहत उपाय, वर्तमान और भावी महामारियों/आपदाओं का प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार करने हेतु, सभी स्तरों, प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट स्तर पर, परिचर्या की निरंतरता में स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमताओं को विकसित करने पर केंद्रित हैं।

• **पंद्रहवी वित्त आयोग (एफसी-XV)** ने स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिए, वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 की पांच वर्षीय अवधि में, मूल स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए 68,832.43 करोड़ रुपये की राशि हेतु स्थानीय सरकारों के माध्यम से अनुदान देने की सिफारिश की है। ये अनुदान निर्दिष्ट घटकों जैसे भवन-रहित उप-स्वास्थ्य केंद्र (एसएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), ग्रामीण पीएचसी और उप-केंद्रों का आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) में रूपांतरण, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के लिए निदान अवसंरचना हेतु सहायता, ब्लॉक स्तर की जन स्वास्थ्य इकाइयों और शहरी- एएएम के माध्यम से प्राथमिक परिचर्या को मजबूत करने के लिए हैं।
